131

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

पत्रांक................ दिनांक................

प्रेषक :— कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद किशनगंज।

सेवा में,

ऑडिट ऑफिसर (सरचार्ज) लोकल ऑडिट विंग
महालेखाकार (आंकेक्षण) बिहार का कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना—800001

विषय :— लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005—06, 2006—07 एवं 2007—08, 2008—09 के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक L.A. Surcharge 567 दिनांक 28.01.08 एवं पत्रांक L.A. Surcharge 2382 दिनांक 15.03.10 के क्रम में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में किशनगंज नगर परिषद का ऑडिट प्रतिवेदन वर्ष 2005—06, 2006—07 एवं 2007—08, 2008—09 के अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर भवदीय के अवलोकनार्थ समर्पित किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज

ज्ञापांक 176 दिनांक 06-02-12

प्रतिलिपि :— सरकार के उप सचिव —सह— निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, किशनगंज को प्रतिवेदन के साथ उचित कार्यार्थ समर्पित।

18.1.12

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज

DS(R)

S.O.-9

D:/Ajit Kumar/Pm file/January/10.01.2012

(130)

1

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

लेखा परीक्षा (आंकेक्षण) प्रतिवेदन सं0–524/2007–08

वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 का जवाब

क्र0	पारा सं0 (कंडिका)	प्रतिवेदन(जवाब)	अभ्युक्ति
01	02	03	04
01	01	कुछ नहीं कहना है।	
02	02	तदैव	
03	03	तदैव	
04	04	वर्ष 79–80 से 1999–2000 तक के निस्तार विशेष (निस्तार) आंकेक्षण द्वारा कंडिकाओं को निस्तारित किया गया है।	
05	05	कुछ नहीं कहना है।	
	05(1)	वित्तीय वर्ष 2005–06 में पिछले वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 का बकाया वेतन एवं मंहगाई भत्ता का भुगतान किया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2005–06 में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण वेतनादि लंबित रह गया, जो अगले वर्ष भुगतान किया गया।	
	05(2)	उपरोक्त कारणवश लेखा संधारण अनियमित हो गया साथ हीं नगर परिषद में ससमय राशि को उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रायः हर वित्तीय वर्ष का बकाया वेतनादि अगली वित्तीय वर्ष में करना पड़ता है।	
06	06(1)	सरकार से एवं नगर परिषद का आंतरिक संसाधन की राशि कोषागार में हीं जमा किया जाता है। लेकिन कभी–कभी सरकार से प्राप्त कुछ राशि सरकार के निदेश बोर्ड का प्रस्ताव आदि के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाता है। जिसका लेखा संधारण नियमानुसार किया गया है।	
	06(2)	सांसद/विधायक निधि की राशि के लिए अलग बैंक खाता में रखा जाता था। वर्ष 2005–06 के बाद नगर परिषद को उक्त निधि से राशि उपलब्ध नहीं हो रहा है।	
	06(3)	रोकड़ बही एवं कोषागार पासबुक में शेष अन्तर को मिलान कर अन्तर समाप्त कर दिया गया है।	
	06(4)	भविष्य में निदेश के अनुसार अनुपालन किया जा रहा है।	
	06(5)	इस त्रुटिपूर्ण भुगतान का पुनरावृति न हो, इसका पालन किया जा रहा है।	
	06(6)	निदेश का पालन किया जा रहा है।	
	06(7)	तदैव	
07	07	अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा। वर्षान्त पर समाशोधन विवरणी तैयार किया जा रहा है। जो अगली आंकेक्षण में अवलोकन कराया जायगा।	
08	08	इसका पुनरावृति नहीं की जायगी एवं आपत्ति के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।	
09	09	कुछ नहीं कहना है। पुनरावृति नहीं की जायगी।	
	09(1)	कुछ नहीं कहना है।	
	09(2)	दुकान किराया की वसूली सख्ती से अनुपालन की जा रही है तथा कुल बकाये वसूल की चुकी है।	
	09(3)	बन्दोबस्ती राशि की वसूली पूर्ण कर ली गई है। जो अगली लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
	09(4)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में विचलन राशि का समायोजन कर लिया गया है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	

Executive Officer
Kishanganj Municipal Council

(129)

	09(5क)	सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त आदेश के आलोक में नया खाता खोला गया तथा पुराना खाता का अवशेष राशि नया खाता में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।	
	09(5ख)	सरकार के निदेश के आलोक में कार्रवाई तथा नगर परिषद बोड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में किया गया है। जिसका भविष्य में पुनरावृति नहीं की जायगी।	
	09 (6 एवं 7)	नगर परिषद बोर्ड के पारित प्रस्ताव के आलोक में की गई है। जिसकी पुनरावृति भविष्य में नहीं किया जायगा।	
	09 (8 एवं 9)	अगले लेखा परीक्षा में मा0 रा0 उ0 प0 प्रा0 द्वारा प्राप्त राशि का मूल पत्र उपलब्ध है जो अगले लेखा परीक्षा मे अवलोकन कराया जायगा। जहाँ तक व्यय का प्रश्न है। तत्कालीन जिला पदाधिकारी, किशनगंज का आदेश एवं नगर परिषद बोड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में की गई है। जो भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जायगी।	
10	10	भविष्य में लेखा एवं अभिलेखों का जॉच हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
11	11(क)	नगर परिषद में ऋण लेखा पंजी संधारित है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा तथा स्वीकृत ऋणों के राशि का 25 प्रतिशत श्रोती पर की गई, पर कटौती की राशि सुनिश्चित कर ली गई है। जिसकी प्रति सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
	11(ख)	वर्ष 2006-07 से आवंटन विनियोग पंजी का संधारण किया जा रहा है। जो अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जायगा।	
12	12	तदैव	
13	13	अनुपालन कंडिका 9(1) में किया जा चुका है।	
14	14	स्वास्थ्य उपकर की वसूली किशनगंज नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव सं0................ एवं दिनांक................ के आलोक में नहीं की गई है। लेकिन सरकार के निर्देश के आलोक में सम्प्रति स्वास्थ्य उपकर की वसूली की जा रही है।	
15	15(क)	शिक्षा उपकर पूर्व में होल्डिंग टैक्स पर 6.25 प्रतिशत की दर से वसूली की जा रही थी। वर्त्तमान में सरकार के निर्देशानुसार होल्डिंग टैक्स का 50 प्रतिशत की दर से वसूली की जा रही है। नगर परिषद का आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण शिक्षा शेष का सरकारी हिस्सा जमा नहीं किया जा सका है।	
	15(ख)	तदैव	
16	16	तदैव	
17	17	बकाया दुकान किराया दिनांक 31.03.07 तक जिन अधिमोगियों के जिम्मे किराया लम्बित था, उसे वसूली की जा चुकी है एवं शर्तानुसार समायोजन किया जा रहा है।	
18	18	बन्दोबरती का कम वसूली की राशि वसूली कर ली गई है।	
19	19	भविष्य में इसका अनुपालन निदेश के आलोक में कड़ाई से किया जा रहा है।	
20	20	S.J.S.R.Y राशि मो0 16,29,387.00 रूपये विशेष परिस्थिति में बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में आवंटन के प्रत्याशा में किया गया था। निम्न राशि का समायोजन कर लिया गया है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायगा।	
21	21	इसकी पुरावृति नहीं की जायेगी आपत्ति के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।	
22	22	बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में अद्यतन सूद की राशि सरकार को अविलम्ब वापस करने एवं बैंक खाता बंद करने की कार्रवाई की जा रही है।	

(128)

	23	उल्लेखित राशि संबंधित कनीय अभियंता से एम0 आर0 नं0 क्रमशः 719 एवं 720 दिनांक 12.12.11 से वसूली की जा चुकी है।	
24	24	कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जो अगला आंकेक्षण में अवलोकन कराया जायेगा।	
25	25	संबंधित कनीय अभियंता श्री मुकुल चंद साहा से नियमानुसार अभिश्रव अथवा राशि वापसी हेतु कार्रवाई की जा रही है।	
26	26	आवंटन से अधिक व्यय के संबंध में आवंटन से अधिक मो0 85,500.00 रूपये बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में किया गया है। जिसका कारण अगले आंकेक्षण में अवलोकन कराया जायगा।	
27	27	नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में विभिन्न बैंकों के खाते में सूद की प्राप्त राशि से क्रय किये जाने की स्वीकृति दी गई है। जिसका विवरणी अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
28	28	नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद तथा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के आलोक बजट में प्रावधानित अनुकुल राशि के अन्तर्गत विभिन्न त्योहारों के अवसर पर विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन लेखा परीक्षा में आपत्ति उठाने के बाद विज्ञापन कार्य बंद कर दिया गया है।	
29	29	कार्य क्षेत्र के बाहर व्यय अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज के अनुरोध एवं आदेश के आलोक में किया गया है। जिसे भविष्य में नहीं किया जायगा।	
30	30	निर्धारित से अधिक व्यय नगर परिषद बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में आंतरिक संसाधन मद से आवश्यकता को देखते हुए की गई है।	
31	31	विलोपित है।	
32	32	निष्फल व्यय एन0 एच0 31 चौड़ीकरण के क्रम में कैलटैक्स चौक स्थित हनुमान मंदीर को विस्थापित किया गया। विस्थापित कर कैलटैक्स चौक ठाकुरबाड़ी में पुनः स्थापित हेतु एन0 एच0 ए0 आई0 द्वारा जिला को उपलब्ध करायी गई राशि से मो0 4,00,000.00 रूपये जिला पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई साथ हीं निदेश दिया गया कि उक्त निर्माणाधीन मंदीर में नगर परिषद स्तर से मो0 4,00,000.00 रूपये का निर्माण हेतु दिया जाय। जहाँ तक मंदीर निर्माण का प्रश्न है वह करोड़ रूपये का योजना है, जो जन सहयोग की राशि से पूर्ति की जा रही है।	
33	33	कंडिका 9(8 एवं 9) में स्पष्टीकरण दिया गया है। जो अवलोकन किया जा सकता है।	
34	34	अग्रिम नगर परिषद पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को समय-समय पर अग्रिम भुगतान पार्षद के पारित प्रस्ताव के आलोक में आंतरिक संसाधन मद से किया गया है। दिये गये अग्रिम नियमानुसार कटौती की जा रही है। भविष्य में निदेश का पालन किया जायगा।	
35	35	कुछ नहीं कहना है।	
36	36	कुछ नहीं कहना है।	
37	37	लेखा परीक्षा के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आवश्यक पंजी लेखा में सुधार कर समुचित रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।	

18.1.12

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

लेखा परीक्षा (आंकेक्षण) प्रतिवेदन सं0–692/2009–10

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 का जवाब

क्र0	पारा सं0 (कंडिका)	प्रतिवेदन(जवाब)	अभ्युक्ति
01	02	03	04
01	01	कुछ नहीं कहना है।	
02	02	कुछ नहीं कहना है।	
03	03	अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
04	04	वर्ष 2005 06 एवं 2006 07 का प्रतिवेदन का निष्पादन तैयार किया गया है।	
05	05	अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
06	06(1,2,3)	ट्रेजरी पास बुक एवं चेक पंजी अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
07	07(1)	सूद की राशि कैश बुक में दर्ज नहीं किये जाने के कारण राशि में अन्तर था जो सम्प्रति सुधार कर लिया गया है।	
	07(2)	अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
08	08	सूद की राशि Hudco को वापस की कार्रवाई की जा रही है। अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायगा।	
09	09	S.J.S.R.Y से संबंधित प्रशिक्षण एवं अन्य कार्रवाई हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है।	
10	10	कुछ नहीं कहना है।	
11	11	सूद की राशि मिली है जिसे प्राप्त कर कैश बुक पास बुक से मिलान कर लिया गया है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा लिया जायगा।	
12	12	N.H.I.A मद से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जो अगले लेखा परीक्षा मे अवलोकन कराया जायगा। जहाँ तक बैंक पास बुक एवं रोकड़ पंजी का मिलान है प्रश्न का मिलान कर लिया गया है। रोकड़ पंजी एवं पास बुक अगली लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायगा। लेखा सं0 5798 एवं 2609 अलग–अलग लेखा संधारित है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
13(1)	17	आपत्ति की गई राशि लेखा परीक्षा के समक्ष हीं जमा की जा चुकी है।	
13(2)	19	विभिन्न कम्पनीयों से निर्धारित दर पर टावरों से शुल्क वसूली की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का ज्ञापांक 640 दिनांक 03.02.11 से निदेश दिया गया कि C.W.J.C सं0 8464/09 एवं 12541/09 में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक 26.02.10 को स्थगण आदेश पारित किया गया है। फलतः अंतिम आदेश तक वसूली स्थगित रखा जाय। जहाँ तक पंजी संधारण का प्रश्न है, तैयार किया गया है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
13(3)	20	मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक 1920 दिनांक 14.08.02 उक्त पत्रांक लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक महोदय के द्वारा वर्ष 2008–09 आंकेक्षण के मध्य इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। फलतः वर्ष 2009–10 से Stamp Duty की वसूली की जा रही है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	

Executive Officer
Kishanganj Municipal Council

13(4)	21	तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद किशनगंज को आपत्ति की गई राशि जमा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।	
13(5)	33	योजना सं0 03/05–06 में योजना पूर्ण कर ली गई है। अग्रिम राशि समायोजित किया जा चुका है। अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायगा।	
14	14	समय के अभाव में समय पर बजट पारित नहीं हो सका लेकिन वर्ष 2011–12 का बजट समय पर पारित करवाकर सरकार को भेजा गया है।	
15	15	ऋण एवं अनुदान पंजी अब संधारित किया जा रहा है जिसे अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायगा।	
16	16	तदैव	
17	17	पारा 13(1) में जवाब उपलब्ध है।	
18	18	श्री राजेन्द्र शर्मा के द्वारा मो0 2,127.00 रूपये एम0 आर नं0 894 दिनांक 04.01.12 को जमा किया गया है जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
19	19	13(2) में जवाब उपलब्ध कराया गया है।	
20	20	13(3) में जवाब उपलब्ध कराया गया है।	
21	21	13(4) में जवाब उपलब्ध कराया गया है।	
22	22	बकाया राशि वसूली की जा रही है। बकायेदारों से कड़ाई के साथ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।	
23	23	विद्युत विभाग के बकाये को समायोजित करने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य विभागों का बकाया वसूल की जा चुकी है।	
24	24	बकाया Offensive & Dangerious Trade का बकाये राशि की वसूली प्रगति पर है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
25	25	दुकान भाड़ा 31.03.09 तक कुल बकाया राशि की वसूली की जा चुकी है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
26	26	किशनगंज नगर परिषद में वसूली रजिस्टर से डीमान्ड रजिस्टर में पोस्टिंग करने वाले कर्मी के सेवा निवृति के कारण विलम्ब हुआ, जो मानदेय के आधार पर कार्यालय कर्मी को रखकर कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।	
27	27	Deleted	
28	28	स्थल पर तकनिकी व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण कनीय अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर समर्पित एम0 बी0 पर हीं कार्य को स्थगित कर दिया गया। जहाँ तक राशि संयोजक से वसूली का प्रश्न है, कार्रवाई की जा रही है। अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
29	29	योजना कार्य पूर्ण है। मास्टर रोड 15.11.06 से 09.12.06 तक दिखाया गया है जबकि ईट का क्रय 10.12.06 के कारण आपत्ति की गई है। कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि ईट क्रय का विपत्र में तिथि 10.11.06 के बदले 10.12.06 कर दिया गया है, जो भविष्य में इसका पुनरावृति न हो, पर ध्यान रखा जायगा।	
30	30(A)	अगले लेखा परीक्षा में संबंधित संचिका एवं स्पष्टीकरण उपलबध कराया जायगा साथ हीं भविष्य में इसका पुनरावृति नहीं होगी।	
	30(B)	संबंधित व्यक्ति से मो0 245.00 रूपये की वसूली एम0 के0 नं0 724 दिनांक 02.01.12 से कर ली गई है।	
	30(ii)	अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।	
31	31	निर्देश का पालन करते हुए सम्प्रति अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।	

32	32	श्री संजीव कुमार साहा, स्वच्छता निरीक्षक द्वारा मो0 1,700.00 रूपये एम0 आर0 सं0 725 दिनांक 02.01.12 से जमा किया जा चुका है।	
33	33	इस बिन्दु का जवाब 13(5) में अवलोकनार्थ उल्लेखित है।	
34	34(1)	Advance Ledger नियमानुसार संधारित किया जा रहा है तथा सक्षम पदाधिकारी से जॉच करायी जा रही है।	
	34(2)	भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया गा है। अग्रिम वापसी हेतु भी कार्रवाई की जा रही है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
35	35	मो0 68,000.00 रूपये का अभिश्रव का मांग कनीय अभियंता श्री अनवारूल हक से किया गया है साथ हीं भविष्य में इसका पुनरावृति न हो सुनिश्चित किया गया है।	
36	36(1)	कुछ नहीं कहना है।	
	36(2)	वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	
	36(3)	आपत्ति का निराकरण अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायगा।	
37	37	कुछ नहीं कहना है।	
38	38	निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है एवं अग्रिम वसूली हेतु भी कार्रवाई की जा रही है।	

18.1.12

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज
18-1-12

1313

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

पत्रांक 932 दिनांक 09.07.2014

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद किशनगंज।

सेवा में,

उप सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना।

विषय :- **अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मांगे गये अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन सं0-265/2013-14 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ समर्पित किया जाता है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0 :- 07 प्रतियाँ।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद किशनगंज

S.O. VII

16.07.14

110

01/8/14

D:/Kishanganj Municipal Council/Letter/June 2014/09.07.14

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

अवधि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

प्रतिवेदन संख्या-265/2013-14 का अनुपालन

1. प्रस्तावना :- कुछ नहीं कहना है।

2. प्रशासन :- कुछ नहीं कहना है।

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र :- कुछ नहीं कहना है।

4. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :- कुछ नहीं कहना है।

5. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :- अंकेक्षण दल को समयाभाव के चलते लंबित कंडिकाओं का निरस्त नहीं किया जा सका है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में निरस्त कराया जायेगा। साथ हीं निदेश का पालन किया जायेगा।

6. वार्षिक लेखा :- लेखा परीक्षा के द्वारा किये गये निदेश के आलोक में वार्षिक, त्रैमासिक मासिक प्राप्ति एवं व्ययों की आँकड़ों की प्रतिवेदन तैयार है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।

7. कोषागार पासबुक :- कोषागार पासबुक कोषागार के द्वारा वर्ष 1995-96 से अद्यतन तैयार नहीं किया गया है। चेक पंजी के माध्यम से आय-व्यय का विवरण तैयार किया जाता है, जो अद्यतन है। जहाँ तक कोषागार पासबुक का प्रश्न है, सतत प्रयास से वर्ष 2005-2006 का तैयार किया जा चुका है। आगे वर्ष का प्रयास जारी है। जो अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

8. लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :-

01. 13(1) गृहकर, शौचकर की कुल राशि मो0 85,59,440.00 रूपये बकाया था जो विशेष वसूली अभियान चलाकर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

02. 13(5) दुकानदारो को सूचना निर्गत कर ब्याज सहित बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

03. 17(1) (क) बिजली बिजली सामग्री से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित लाभान्वित एवं वार्ड पार्षदों का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जो अगले अंकेक्षण में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ख) एकरारनामा के अनुरूप अंकित कंपनी वारंटी संबंधी प्रमाण पत्र एवं क्रय समिति के गठन एवं निविदा संबंधी प्रक्रिया से संबंधित पत्रों, जो नगर विकास विभाग, बिहार, पटना से निर्गत है। सभी संबंधित कागजात संचिका में संलग्न किया गया है, जो अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जायेगा।

04. (23) संविदा के आधार पर कनीय अभियंता की अनियमित नियुक्ति :- श्री शेखर विश्वास, सेवा निवृत कनीय अभियंता को विकास एवं दैनदिनी कार्य हेतु मासिक मानदेय मो0 14,000.00 रूपये निर्धारित प्रक्रिया आलोक में की गई है। जिसका अनुमोदन सरकार से किया गया है। पुनः अनुमोदन हेतु स्मारित किया जा रहा है। जहाँ तक Over Writing का प्रश्न है लिपिक भूलवश Over Writing हो गया है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कर दिया जायेगा।

9. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल :-

01. स्वीकृत बल से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग का स्वीकृति पत्र वेतन निर्धारण पंजी में संलग्न है। जो अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।

02. मानेदय पर नियुक्त कर्मीयों से संबंधी कर्मचारियों के संचिका अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

10.(1) अधिदृश्य (आय-व्यय) :- कुछ नहीं कहना है।

01 प्राप्ति शीर्ष में प्राप्तियों से संबंधित विवरण दर्ज कर ली गई है।

02 आय-व्यय का वर्गीकरण तैयार कर लिया गया है।

03 रोकड़ बही का अवशेष मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक तैयार किया गया है। साथ हीं रोकड़ बही अन्तर शेष एवं पासबुक का अन्तर शेष मिलान की कार्रवाई की जा रही है।

10.(2) अन्य रोकड़ बही के आय-व्यय की स्थिति :- सही है। जहाँ तक अलग रोकड़ पंजी का प्रश्न है भिन्न-भिन्न स्वीकृत पंजी में सरकार का निर्देश है कि इस राशि को बैंक खाता में जमा करअलग रोकड़ पंजी का संधारण करें। रोकड़ बही का संधारण निदेश के आलोक में सम्प्रति विहित प्रपत्र में संधारण किया जा रहा है। जो अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।

10.(3) रोकड़ बही एवं बैंक खाता के अवशेष में अंतर :- अन्त शेष की राशि के अन्तर का समाधान कर लिया गया है। अन्तर समाप्त हो गया है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

11. बजट प्राक्कलन :- अगले वर्ष 2014-15 का बजट निदेश के आलोक में विहित प्रपत्र में तैयार किया गया है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

12. अनुदान :- अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

13.(1) गृहकर, जलकर एवं शौचकर की बकाया राशि :- गृहकर, शौचकर की कुल राशि मो0 85,59,440.00 रूपये बकाया था जो विशेष वसूली अभियान चलाकर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

13.(2) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि की कम वसूली :- किशनगंज नगर परिषद बोर्ड की बैठक में किशनगंज नगर परिषद क्षेत्रातन्तर्गत होल्डिंग टैक्स निर्धारण में शिक्षा सेस-6.25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स का करने का एवं स्वास्थ्य सेस लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार किशगनंज नगर परिषद में शिक्षा सेस 6.25 प्रतिशत होल्डिंग सेस लागू नहीं की गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के दिशा निर्देश के आलोक में नव निर्मित भवनों के शिक्षा सेस 50 प्रतिशत की दर एवं स्वास्थ्य सेस 50 प्रतिशत की दर से वसूल की जा रही है। वर्ष 2014-15 से लागू होने वाली सामान्य मूल्यांकन के दर से सभी होल्डिंगों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

13.(3) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं :- नगर परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहने के कारण उक्त राशि से वेतन मद में व्यय कर ली गई है। राशि उपलब्ध होते हीं संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

13.(4) सरकारी भवनों पर बकाया गृहकर:- संबंधित विभागों से वसूली हेतु पत्राचार के माध्यम से वसूली की जा रही है। जो अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।

13.(5) बकाया दुकान किराया :-	किशनगंज नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में मासिक किराया बढ़ जानेके कारण दुकानदारों द्वारा विरोध स्वरूप हड़ताल किया गया। जिसके चलते मासिक किराया बाकी रह गया। समझौता के उपरान्त बोर्ड द्वारा पुनः किराया पर समझौता किया गया। समझौता के आलोक में युद्ध स्तर पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।
14. संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं शुल्क बकाया रहना :-	सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर पंजीकरण एवं वसूली की कार्रवाई चल रही थी। सरकार के पत्रांक 867 दिनांक 25.03.13 से 08.04.13 तक मोबाईल टावरों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाए के निर्देश के आलोक में वसूली की कार्रवाई बाधित रहा। पुनः सरकार के पत्रांक 757 दिनांक 11.02.14 से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 11.02.14 के प्रभाव से पंजीकृत एवं नवीकरण शुल्क वसूल की जाए तद्नुसार टावरो से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।
15.(1) डे-मार्केट मांस एवं मछली :-	एम0 आर0 नं0-3639 दिनांक 15.04.14 से मो0 59,000.00 रूपये वसूली की गई है। अवशेष (सूद) की राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
15.(2) डे-मार्केट सब्जी मंडी :-	सूद की राशि वसूली हेतु सूचना निर्गत की गई है।
15.(3) माधवनगर सब्जी मंडी:-	वसूली हेतु प्रमाण-पत्र मुकदमा दायर करने के लिये सूचना निर्गत की गई है। मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।
15.(4) रिक्सा/ठेला :-	एम0 आर0 नं0 1631 दिनांक 20.07.13 से मूलधन की राशि मो0 48,000.00 रूपये वसूली की जा चुकी है। सूद की राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
16. कम जमा/नहीं जमा :-	तहसीलदारों के द्वारा एच रसीद में परिषद में कम जमा/नहीं जमा की राशि अंकेक्षण दल के समक्ष हीं जमा की गई है। जो नहीं जमा किये उनके द्वारा बाद में जमा कर दी गई है। जो अगले अंकेक्षण दल को अवलोकन करा दिया जायेगा।

1306

17.(1) बिजली सामग्री क्रय (13वीं वित्त) :- क्रय समिति का गठन पार्षद (बोर्ड के द्वारा किया गया है। जहाँ तक अपर समाहर्त्ता का प्रश्न है। सरकार के निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा अपर समाहर्त्ता के पद से नामित किया गया है। जो अगले लेखा परीक्षा को अवलोकन कराया जायेगा।

17.(2) विलोपित :- विलोपित।

18.(1) योजना की स्थिति :- योजनाओं से संबंधित संचिकायें, अभिलेख एवं पंजी संधारित है, जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।

18.(2) विलोपित :- विलोपित

18.(3) योजना के कार्यान्वयन मे अनियमित भुगतान :- संबंधित संवेदक एवं कनीय अभियंता से वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

18.(4) श्रम सेस की कटौती नहीं :- जहाँ तक श्रम की वसूली का प्रश्न है। नगर परिषद को सरकार से कोई भी निदेश प्राप्त नहीं है। निदेश प्राप्त होते हुए श्रम सेस की राशि उनके खाता में जमा किया जाता है।

18.(5) क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं :- योजनाओं से संबंधित अभिलेख एवं एम0 बी0 का अवलोकन किया गया है। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कायदिश निर्गत होने के बाद चुनाव आचार संहिता के चलते कार्य करने पर रोक लगा दी गई। आचार संहिता समाप्त होने पर संवेदक द्वारा कार्य किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में प्रतिवेदित है कि कार्य दिनांक 10.07.12 को हीं पूर्ण किया जा चुका है। एम0 बी0 में कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्य का सत्यापन 18.08.12 एवं 20.09.12 को किया गया है। फलतः क्षतिपूर्ति शुल्क वसूली की आवश्यकता नहीं है। अगले लेखा परीक्षा में संबंधित अभिलेख अवलोकन करा दिया जायेगा।

19. लॉग बुक गाड़ी सं0 बी0 आर0-37-6477 पर व्यय :- उक्त वाहन से संबंधी लॉग बुक संधारित एवं पदाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर स्थानीय भमण का प्रयोजन संबंधित संचिका में कार्यालय आदेश तथा पदाधिकारी का मासिक ब्योरा उपलब्ध है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।

20. भविष्य निधि की कटौती :- कमचारियों के भविष्य निधि की कटौती से संबंधित विवरणी तथा पंजी संधारित है। जो संबंधित कर्मचारियों के खाता में राशि जमा की जा चुकी है। उनके पासबुक में दर्ज है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन करा दिया जायेगा।

21. अग्रिम राशि मो0 1,33,100 रूपये :- श्री संजीव कुमार साहा, स्वच्छता निरीक्षक का मो0 10,000.00 एवं मो0 25,000.00 रूपये नगर परिषद के वाहन मरम्मति कार्य हेतु अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसे समायोजित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है तथा श्री भानु कुमार साहा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान हेतु दिया गया था, जो संबंधित लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है, से संबंधित सभी कागजात अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।

22. कबीर अन्त्येष्टि योजना :-

(1) संबंधित वार्ड आयुक्त एवं कर्मचारियों के पदनाम से संयुक्त पासबुक संधारित है। जिसका चेक बुक एवं वितरण पंजी उपलब्ध है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में अवलाकन करा दिया जायेगा।

(2) लाभुकों के आवेदन पत्र से संबंधित वार्ड आयुक्त एवं संबंधित कर्मचारियों के द्वारा जाँचोपरान्त उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जाता है। आवेदन पत्र भुगतान के बाद जिला कार्यालय को भेज दिया जाता है।

23. संविदा के आधार पर कनीय अभियंता की अनियमित नियुक्ति :-

(1) श्री शेखर विश्वास, कनीय अभियंता को सरकार के द्वारा निदेश के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति किया गया है। जिसका अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना से कराने का प्रावधान नहीं है।

306

(2) श्री निजामउद्दीन, कनीय अभियंता को 6.8.10 के प्रभाव से कनीय अभियंता के पद पर रखे जाने का परिषद (बोर्ड) के द्वारा निर्णय लिया गया था। जिसके आधार पर इस कार्यालय का पत्रांक 1208 दिनांक 8.12.10 से उन्हें योगदान हेतु आदेश दिया गया था। जिसके आलोक में कार्यालय में योगदान किये।

(2) -1. जहाँ तक विज्ञापन का प्रश्न है, श्री निजामउद्दीन के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर बोर्ड द्वारा मानदेय पर रखा गया।

(2)-2. प्रथम नियुक्ति छः माह के लिए की गई थी। जिसे परिषद (बोर्ड) के द्वारा प्रत्येक छः माह पर सेवा विस्तार की स्वीकृति प्राप्त है। जो अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।

24. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप :- कुछ नहीं कहना है।

25. लेखा परीक्षा का परिणाम :- कुछ नहीं कहना है।

26. सामान्य अभ्युक्ति :- नगर परिषद में समय-समय पर कर्मियों के सेवा निवृति के चलते कर्मियों का घोर अभाव हो गया है। फलतः अवशेष कर्मियों को भिन्न-भिन्न प्रशाखों के काम से अतिरिक्त बोझ हो जाने के कारण लेखाओं का संधारण मांग एवं वसूली पंजी, अग्रिम पंजी, ऋण विनयोग पंजी आदि के संधारण में तनिक विलम्ब होना स्वाभाविक है। बावजूद सभी संचिकाओं, अभिलेखों, पंजीयों आदि को संधारित किया गया है। वसूली की स्थिति में सुधार हो रहा है। अतएव लेखाओं को समुचित ढंग से संधारण किया गया है, से संबंधित सभी अभिलेख/संचिका/पंजी अगले लेखा परीक्षा में अवलोकन कराया जायेगा।

07-07-14

प्रधान सहायक -सह- लेखापाल
नगर परिषद किशनगंज

7/7/14

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज

1319

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

पत्रांक 1604

प्रेषकः- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज

सेवा में,

सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

दिनांक 20.12.14

विषय :- **अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2012-13 लेखा वर्ष 2009-10 से 2010-11का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

प्रंसगः- भवदीय अर्द्धसरकारी पत्रांक-7/अंकेक्षण-95/2014/3907/पटना दिनांक-15.12.14

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक पत्र के संबंध में वांछित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

कृप्या इसे स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज

E:/Kishanganj Municipal Council/Letter/Year 2014/December 2014/18.12.14

1318

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

अवधि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 04/2012-13

लेखा वर्ष-2009-10 से 2010-11 तक

1.	प्रस्तावना	:-	कुछ नहीं कहना है।
2.	प्रशासन	:-	कुछ नहीं कहना है।
3.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	:-	कुछ नहीं कहना है।
4.	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	:-	अंकेक्षण दल को समयाभाव के चलते लंबित कंडिकाओं का निरस्त नहीं किया जा सका है। जिसे अगले लेखा परीक्षा में निरस्त कराया जायेगा। साथ हीं निदेश का पालन किया जायेगा।
5.	आंतरिक अंकेक्षण	:-	P.N. Joyti & Co. पटना द्वारा वर्ष 2013-14 तक आंतरिक अंकेक्षण का कार्य किया गया है। इसके आलावे स्पर के Cluster Finance and account expert श्री मुकेश कुमार द्वारा भी लेखाओं की जाँच की जाती है।
6.	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धि।	:-	कंडिकावार विस्तृत प्रतिवेदन संबंधित कंडिका में उल्लेखित है।
7. (i)	रोकड़ वही (क) P.L. खाता आपत्ति	:-	तैयार की जा रही है जो अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।
	(ख) लेखा परीक्षा आपत्ति	:-	तैयार की जा रही है जो अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जायेगा।
7. (i)	(ग) वार्षिक लेखा	:-	तैयार किया गया है जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखलाया जायेगा।
7. (ii)	बस टर्मिनल रोकड़ बही		अगले लेखा परीक्षा में बैंक समाधान विवरणी उपलब्ध करा दिया जायेगा।
7. (iii)	बाल्मीकि अम्बेंदकर आवास योजना		राशि भेजने की कारवाई की जा रही है सिर्फ अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
7. (iv)	राष्ट्रीय गंदी वस्ती	:-	तदैव
7. (v)	कबीर अन्तेयष्टी	:-	यह योजना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संचालित है। इस योजना से संबंधित व्यय का अभिश्रव तथा अनुदान प्राप्तकर्त्ता का आवेदन वार्ड पार्षद का अनुमोदन एवं राशि प्राप्तकर्त्ता का प्राप्ति रशीद निदेशानुसार सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जाता है।